

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

यह केंद्र सरकार की योजना है। मछुआरों, मछली पालकों और मत्स्य व्यवसाय को मदद मिल सकती है।

क्या मिल सकता है

व्यक्तिगत या समूह गतिविधि के लिए सरकारी मदद सामान्य वर्ग को इकाई लागत का 40% तक और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को 60% तक हो सकती है। मछली प्रतिबंध या कम मौसम में पंजीकृत मछुआरा परिवार को साल में 3,000 रुपये तक मिल सकते हैं, जिसमें मछुआरे को 1,500 रुपये जमा करने होते हैं।

किसके लिए है

मछुआरे, मछली पालक, मत्स्य मजदूर, मछली विक्रेता, मत्स्य स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ और उद्यमी।

मुख्य शर्तें

- मदद चुनी गई गतिविधि और राज्य की योजना पर निर्भर करती है।
- मछली प्रतिबंध की राहत के लिए परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवार होना चाहिए।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://www.dof.gov.in/static/uploads/2025/08/89f0158000ddb527f339428aef82a676.pdf>

आधिकारिक PDF: <https://www.dof.gov.in/static/uploads/2025/08/89f0158000ddb527f339428aef82a676.pdf>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/central/pmmsy/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।